न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 22/2022

नफीस अहमद खां पुत्र बशीर खां जाति कायमखानी पेशा वकालत निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

-आवेदक

बनाम

1. अणची देवी पत्नी गिरधारी उर्फ भाना
2. ओमप्रकाश पुत्र खेमचन्द
3. कमला पुत्री गिरधारी उर्फ भाना
4. किशोर पुत्री खेमचन्द
5. दिनेश कुमार पुत्र खेमचन्द
6. पतासी देवी पत्नी खेमचन्द
7. विमला पुत्री गिरधारी उर्फ भाना
8. मनीराम पुत्र हरलाल
9. महेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द दोहिता गिरधारी उर्फ भाना
10. रविन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द दोहिता गिरधारी उर्फ भाना
11. रामेश्वर पुत्र हरलाल
12. विधाधर पुत्र खेमचन्द
13. जगदेव सिंह पुत्र मुकन्दाराम
14. सुन्दरी पत्नी हरलाल
15. सुरेश पुत्री गिरधारी उर्फ भाना
16. सिलोचना पुत्री मूलचन्द दोहिती
17. सरिता पुत्री गिरधारी उर्फ भाना
    समस्त जाति जाट निवासीगण पीपल का बास तन सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
18. समीरा खान पत्नी अनवार अली खान जाति कायमखानी निवासी सी—28, इन्दिरा नगर झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।
19. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर

अनावेदक

प्रार्थना पत्र तब्दीली (अदला बदली) अन्तर्गत धारा 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 19.09.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम धनूरीपटवार हल्का धनूरी की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 865 रकबा 0.61 है0, ख0न0 866 रकबा 0.55 है0,

ख0न0 567 रकबा 0.34 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है0 बारानी अव्वल भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। इसी प्रकार भूमि ख0न0 868 रकबा 1.39 है0 बारानी प्रथम स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण 1 लगायत 19 है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 से उनके खेत ख0न0 868 रकबा 1.39 है0 व खेत ख0न0 865, 866, 867 कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है0 में से उत्तर दिशा की पूर्व से पश्चिम सीरे तक की 0.11 है0 भूमि कार्यवाही तब्दीली में प्राप्त कर ली है। इस प्रकार प्रार्थी भूमि ख0न0 868 का पुरा रकबा 1.39 है0 व ख0न0 865, 866, 867 के उत्तरी हिस्से की 0.11 है0 कुल 1.50 है0 बारानी अव्वल मौजा धनूरी में भूमि कार्यवाही तब्दीली में प्राप्त कर ली है। और अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 को उक्त भूमि पर कब्जा करवा दिया है। उपरोक्त कार्यवाही प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 की आपसी सहमती से कब्जाधारी व खातेदार काश्तकार हो गये है। इस प्रकार ख0न0 868 का पुरा रकबा 1.39 है0 व ख0न0 865, 866, 867 के उत्तरी हिस्से की 0.11 है0 कुल 1.50 है0 भूमि को अदालत हाजा द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 को उक्त ख0न0 865, 866, 867 के दक्षिणी की पुरी 1.39 है0 मौजा धनूरी को तब्दीली में दिया जाना या उपरोक्त कार्यवाही तब्दीली को स्वीकारोक्ति का अन्तर्गत धारा 49 रा.का.अ. 1955 के मंजूरी दिया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ख0न0 868 का पुरा रकबा 1.39 है0 जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, व ख0न0 865, 866, 867 के उत्तरी हिस्से की पूर्वी सीरे से पश्चिम सीरे तक 0.11 है0 कुल 1.50 है0 भूमि की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज करने तथा ख0न0 865, 866, 867 का शेष रकबा 1.39 है0 भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 13, 19 की ओर से एडवोकेट जयसिंह गौड़ ने इकबाली जवाब पेश किया। अन्य अनावेदकगण की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 12, 14 लगायत 18 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1433 दिनांक 31.07.2023 में स्पष्ट किया है कि मौके पर ख0न0 864 रकबा 1.39 है0 सम्पूर्ण व ख0न0 865 की उतरी सीमा पर सम्पूर्ण रकबे में से 0.05 है0, ख0न0 866 की उतरी सीमा पर सम्पूर्ण रकबे में से 0.04 है0 व ख0न0 867 की उतरी सीमा पर सम्पूर्ण रकबे में से 0.02 है0 कुल 1.50 है0 नफीश अहमद पुत्र बशीर अहमद खां जाति कायमखानी सा. देह का कब्जा है। इसी प्रकार ख0न0 865 के सम्पूर्ण रकबे में से 0.56 है0, ख0न0 866 के सम्पूर्ण रकबे में से 0.51 है0 व ख0न0 867 के सम्पूर्ण रकबे में से 0.32 है0 कुल 1.39 है0 वर्तमान जमाबंदी ख0न0 868 के खातेदारान का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जा है।

जवाब देही पूर्ण होने के पश्चात विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कब्जेकाश्त को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना बताया। तथा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तब्दीली स्वीकार करने अथवा खाता दुरूस्त करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस

विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा मुताबिक कब्जा काश्त ख0न0 868, 868, 866, 867 की खातेदारी दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। चाहे गये अनुतोष के अनुसार ही खातेदार मौके पर काबिज काश्त है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट से होती है। कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अतः उपलब्ध तथ्यों एवं रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धनूरी पटवार हल्का धनूरी स्थित भूमि ख0न0 864 रकबा 1.39 है0 सम्पूर्ण व ख0न0 865 की उतरी सीमा पर सम्पूर्ण रकबे में से 0.05 है0, ख0न0 866 की उतरी सीमा पर सम्पूर्ण रकबे में से 0.04 है0 व ख0न0 867 की उतरी सीमा पर सम्पूर्ण रकबे में से 0.02 है0 कुल 1.50 है0 की खातेदारी नफीश अहमद पुत्र बशीर अहमद खां जाति कायमखानी सा. देह तथा ख0न0 865 के सम्पूर्ण रकबे में से 0.56 है0, ख0न0 866 के सम्पूर्ण रकबे में से 0.51 है0 व ख0न0 867 के सम्पूर्ण रकबे में से 0.32 है0 कुल 1.39 है0 भूमि की खातेदारी वर्तमान जमाबंदी ख0न0 868 के खातेदारान का जमाबंदी ख0न0 868 में दर्ज हिस्से अनुसार दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर